FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

पूरणमल बनाम भूमिधारी

मुकदमा प्रार्थना पत्र 128 रा.भू.रा.अधिनियम मुकदमा नम्बर 578 सन् 2021 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिस्ता होकर प्रार्थना पत्र धारा 128 रा.भू.रा.अधिनियम पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्र किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 20.10.2022 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) 20/10/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/11/22 को पेश हो। 14/11/22 वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं० 1 की तामील सम्यक रूप से हो चुकी है। बावजूद तामील अनुप०। अतः अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील अप्रार्थी 2 ता 5 की तामील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस तलबाना पेश करे। पत्रावली दिनांक 9/12/22 को पेश हो। 9/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/1/23 को पेश हो। 10/1/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक पक्ष आज अदालती कार्य [illegible] रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/3/23 को पेश हो। 17/3/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक पक्ष आज [illegible] रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/5/23 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

18/5/23 पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी सामुहिक अवकाश पर होने के कारण पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 13/7/23 नियत की जाती है।

13/7/23 वकील प्रार्थी उप० । शेष अप्रार्थी सं. 2 ता 5 की तलबी हेतु वकि. नोटिस तलबाना पेश हो पत्रावली दिनांक 10/8/23 को पेश हो।

10/8/23 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित PO साहब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 8/9/23 को पेश हो।

8/9/23 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित PO साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 13/9/23 को पेश हो।

13/9/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/10/23 को पेश हो।

10/10/23 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी की ओर से श्री प्रमोद कुमार वर्मा एवं अप्रार्थी सं. 2 ता 5 की ओर से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। P.O साहब चुनाव कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/12/23 को पेश हो।

7/12/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनाक 14/02/24 को पेश हो।

14/2/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/3/24 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रा0 पत्र संख्या:- 578/20

उनवान पूर्णमल बनाम भूमिधारी

पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 ता 5 की ओर से श्री सुरेश कुमार शर्मा एडवोकेट जवाब पेश नही करना चाहते है, पत्थरगढी किये जाने पर अपनी सहमति दी। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.न. 500, 505, 506 कुल किता 3 कुल रकबा 1.33 हैक्ट. ग्राम दीपावास पटवार हल्का दीपावास तहसील नीमकाथाना के प्रार्थी 1/5 हिस्से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। भूमि का तहसीलदार, नीमकाथाना के आदेश से 18.06. 2022 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम दीपावास पटवार हल्का दीपावास तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नं. 500, 505, 506 कुल किता 3 कुल रकबा 1.33 हैक्ट. प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम दीपावास पटवार हल्का दीपावास तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नं. 500, 505, 506 कुल किता 3 कुल रकबा 1.33 हैक्ट. का प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 18.06.2022 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर [illegible] हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner